जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 30.09.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता रामेश्वर पसाद सिंह पुत्र रामसुमेरन निवासी भैसहीजोत थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामेश्वर प्रसाद, हे0का0 जुबेर अली, का0 राजमंगल यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 119 वाहनों से 1,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 119 वाहनों से 1,23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 30.09.2024

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व आपराधिक षड्यंत्र के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 191/2024 धारा 363/366/120(बी)भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अजय पुत्र रामभजन उर्फ रामभुज निवासी बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 30.09.2024 को मुण्डेरा शुक्ल चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना धनघटा पर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रवीन्द्र यादव, का0 विशाल कुमार, का0 रामभुज।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बहला फुसलाकर नाबालिग के साथ शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 551/2024 धारा 64(2)/65(1) बीएनएस व 5(I)/6 पाक्सो एक्ट, 9/11 बाल विवाह निषेध अधिनियम के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता हबीबुल्लाह पुत्र अलीमुल्लाह निवासी बैडारी, मुथाई चौराहा थाना धनघटा संतकबीरनगर को आज दिनांक 30.09.2024 को धनघटा चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना बंडलागुड़ा हैदराबाद पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर शादी कर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके उपरान्त थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री राम वशिष्ठ, का0 विशाल कुमार, का0 सोनू कुमार।